

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

 PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 273]
 नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

 No. 273]
 NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

फा.सं. मानक/ओ.एंड एफ./बिधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का, जिन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को या खाद्य प्राधिकरण के ईमेल पते regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

3336 GI/2016

(1)

### प्रारूप विनियम

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में,-
- (अ) विनियम 1.2 के उपविनियम 18 की मद (iv) में "फास्फोरिक अम्ल" शब्दों के स्थान पर "फास्फोरिक/सिटरिक अम्ल और किसी उपयुक्त खाद्य श्रेणी एन्जाइम" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे;
  - (आ) उक्त विनियमों के विनियम 2.2 में, (i) उपविनियम 2.2.1 में,
- (क) खंड 1 में, "इसके अतिरिक्त, यदि तेल विलायक निष्कर्षण पद्धित द्वारा प्राप्त किया गया है" शब्दों से आरंभ होने वाले और "हैक्सन 5.00 पी.पी.एम. से अधिक नहीं होगा" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;
  - (ख) खंड 24 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "25. खाद्य वनस्पति तेलों को निम्नलिखित विटामिनों से प्रबलित किया जा सकेगा. अर्थात:-

पोषक	प्रति ग्राम तेल में पोषक की श्रेणी	पोषक का स्रोत
विटामिन ए	22.5 – 27.5 आई.यू.	रेटिनाइल ऐसिटेट, रेटिनाइल पाल्मीटेट और रेटिनाइल प्रोपियोनेट
विटामिन डी	3.96 – 4.84 आई.यू.	कोलकैल्सिफिरोल, इर्गोकैल्सिफिरोल

विटामिनों की श्रेणी पैकेजिंग के समय लागू होगी और वह विक्रय के समय सकारात्मक परीक्षण दर्शाएगी । प्रबलित खाद्य वनस्पति तेल के प्रत्येक पैकेज पर "विटामिन ए और डी" से प्रबलित घोषणा होगी ।" ।

- (ii) उपविनियम 2.2.2 में,-
- (क) आरंभिक पैरा में, "वनस्पति वसा" शब्दों के स्थान पर "वनस्पति वसा/तेल" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (vi) का लोप किया जाएगा;
- (इ) उपविनियम 2.4.6 में, खंड 16 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## "17. जई (ओट्स)

(1) जई *अवेना सतीवा* या *अवेना बायज़ेंटिना* के शुष्कित पके हुए दाने होंगे । दाने ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद होंगे और विषाक्त बीजों, जीवित कीटों और दृष्टिगोचर संचों से मुक्त होंगे और निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं
(i)	आर्द्रता	भार के अनुसार 14.0 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
(ii)	विजातीय पदार्थ(बाह्य पदार्थ)	भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं, जिसमें से भार के अनुसार खनिज वस्तु 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और भार के अनुसार पशुजनित अशुद्धताएं 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।
(iii)	अन्य खाद्य दाने (जई से भिन्न दाने)	भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
(iv)	क्षतिग्रस्त दाने (जिसके अंतर्गत गिरियों के ऐसे टुकड़े आते हैं जो आर्द्रता, मौसम, रोग, कीटों, संचन, तापन, किण्वन, अंकुरन या अन्य कारणों से विकृति दर्शाते हैं)	भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
(v)	कीड़ा खाए दाने	गणना के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
(vi)	न्यूनतम परीक्षण भार (जई की सौ लिटर मात्रा भार प्रति हैक्टोलिटर किलोग्राम के रूप में अभिव्यक्त(कि.ग्रा./है.लि.)	46 कि.ग्रा./है.लि. से कम नहीं।
(vii)	तुष निकाली गई और टूटी हुई गिरियां	भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
(viii)	यूरिक अम्ल	प्रति कि.ग्रा. 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं ।
(ix)	अर्गट	फंफूद क्लेविसेप्स पुरपूरिया की कठोरपट्टिका अधिकतम 0.05 प्रतिशत एम/एम

## (2) खाद्य सहयोज्य

उत्पाद में इन विनियमों के परिशिष्ट क में विनिर्दिष्ट खाद्य सहयोज्य होंगे ।

## (3) संदूषक, आविष और अवशिष्ट

उत्पाद के संदूषक, आविष और अवशिष्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुसार होंगे ।

# (4) खाद्य स्वच्छता

- (क) उत्पाद को खाद्य सुरक्षा और मानक ( खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में उपबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार और बरता जाएगा ।
- (ख) उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट सूक्ष्मजैविकी अपेक्षा के अनुरूप होगा ।

## (5) लेबलीकरण

उत्पाद को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार लेबलीकृत किया जाएगा ।

## (6) नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति

जैसा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के खाद्य विश्लेषण पद्धति के सुसंगत मैनुअल में उपबंधित है";

- (ई) उपविनियम 2.4.10 के खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-
- 1. पास्ता उत्पाद: (क) (मैकरोनी, स्पेघेटी, वर्मिसेल्ली) से अकेले या संघटकों के संयोजन से, जिनमें सूजी, मैदा, चावल का आटा, मूंगफली का आटा, टैपियोका आटा, खाद्य सोया आटा या विनियमों के उपविनियम 2.4 में निर्दिष्ट किसा अन्य धान्य का आटा भी है, संघटक दुग्ध चूर्ण और मसाले मिलाकर या मिलाए बिना गूंधे हुए आटे को मसलकर और उसे मढ़कर अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है।
  - (ख) वह मिलाए गए रंग, धुल, कीट के लारवे और अशुद्धताओं या किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मक्त होगा।
  - (ग) वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा:-

आर्द्रता 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।

कुल भस्म शुष्क आधार पर 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं।

तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल(एच.सी.एल.) 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं।

में अविलेय भस्म(शुष्क आधार पर)

नाइट्टोजन शुष्क आधार पर 1.7 प्रतिशत से कम नहीं।"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन III/4/असा./155]

**टिप्पण** – मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग iii, खंड 4 में अधिसूचना सं. एफ. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किए गए थे:-

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी. 15025/262/13-पी.ए./एफ्र.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 दिसम्बर, 2014;
- (v) फा. सं.1-83 एफ़/वैज्ञा. पैन-अधि./एफ़. एस. एस. ए.आई. -2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी. 15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा. सं. पी. 15025/208/13-पी.ए./एफ.एस.एस.एस.ए.आई., तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा. सं. पी. 15025/261/2013-पी.ए./एफ़.एस.एस.ए.आई., तारीख 13 नवम्बर, 2015;

- (xii) फा. सं. 1-10(1)/मानक/एस.पी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- (xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट1 खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्यच)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 03 मई, 2016 और
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

**F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Authority.

#### DRAFT REGULATIONS

- 1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
- In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations),-
  - (A) in regulation 1.2, in sub-regulation 18, in item (iv), after the words "citric acid", the words "and any suitable food grade enzyme" shall be inserted;
  - (B) In regulation 2.2 of the said regulations,- (i) in sub-regulation 2.2.1,
    - (a) in clause 1, the portion starting with the words "Further, if the oil is obtained" and ending with the words "Hexane more than 5.00 ppm" shall be omitted;
    - (b) after clause 24, the following clause shall be inserted, namely:-
    - "25. Edible vegetable oils may be fortified with the following vitamins, namely:-

Nutrients	Range of nutrient per gram of Oil	Source of nutrient
Vitamin A	22.5-27.5 IU	Retinyl acetate, Retinyl palmitate and Retinyl propionate
Vitamin D	3.96-4.84 IU	Cholecalciferol, Ergocalciferol

Range of vitamins shall be applicable at the time of packaging and shall show a positive test at the time of sale. Every package of fortified edible vegetable oil shall bear the declaration "Fortified with Vitamin A and D".

- (ii) in sub-regulation 2.2.2,-
  - (a) in the opening paragraph, for the "vegetable fat", the words "vegetable fat/oil" shall be substituted;
  - (b) clause (vi) shall be omitted;

(C) in sub-regulation 2.4.6, after clause 16, the following clause shall be inserted, namely:  $^{\circ}$ 17.OATS

(1) Oats shall be dried mature grains of *Avena sativa or Avena byzantina*. The grains shall be sound, clean, wholesome, and free from toxic seeds, live insects and visible mold confirming to the following standards, namely:-

S.No	Characteristics	Requirements
(i)	Moisture	Not more than 14.0 per cent. by weight
(ii)		Not more than 1 per cent. by weight of which not more than 0.25 per cent. by
	Foreign matter(Extraneous matter)	weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent. by weight shall
(iii)	Other edible grains (grains other than oats)	be impurities of animal origin.  Not more than 3 per cent. by weight.
(iv)	Damaged grains (including pieces of kernels that show visible deterioration due to moisture, weather, disease, insects, mould, heating, fermentation, sprouting or other causes)	Not more than 3 per cent. by weight.
(v)	Weevilled grains	Not more than 2 per cent. by count.
(vi)	Minimum test weight (weight of hundred litre volume of oats expressed as kilograms per hectolitre (kg/hl).	Not less than 46 kg/hl
(vii)	Hull-less and broken kernels	Not more than 3 per cent. by weight.
(viii)	Uric acid	Not more than 100 mg per kg.
(ix)	Ergot	Sclerotium of the fungus <i>Claviceps</i> purpurea 0.05 per cent. m/m max

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

#### (2) Food Additives

The product shall contain food additives specified in Appendix A to these regulations.

#### (3) Contaminants, Toxins and Residues

The product contaminants, toxin and residues shall be in accordance with the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011.

#### (4) Food Hygiene

- (a) The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines provided in the Schedule 4 of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
- (b) The product shall conform to the microbiological requirement specified in Appendix B of these regulations.

#### (5) Labelling

The product shall be labelled in accordance with the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

### (6) Method of Sampling and Analysis

As provided in the relevant FSSAI Manual of Method of Analysis of Food";

- (D) in sub-regulation 2.4.10, for clause 1, the following clause shall be substituted, namely-
  - "1. PASTA PRODUCTS: (a) (Macaroni, spaghetti, vermicelli) means the product obtained from either single or in combination of ingredients including suji, maida, rice flour, groundnut flour, tapioca flour, edible soy flour or flour of any other cereal referred to in subregulation 2.4 of regulations, with or without addition of ingredients milk powder and spices by kneading the dough and extending it.
  - (b) It shall be free from added colour, dirt, insect's larvae and impurities or any other extraneous matter.
  - (c) It shall conform to the following standards:-

Moisture Not more than 12.5 per cent.

Total ash Not more than 1.0 per cent. On dry basis

Ash insoluble in dilute HCl Not more than 0.1 per cent.

(On dry basis)

Nitrogen Not less than 1.7 per cent. on dry basis".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./155]

**Note.** - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7<sup>th</sup> June, 2013;
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27<sup>th</sup> June, 2013;
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12<sup>th</sup> July, 2013;

- (iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5<sup>th</sup> December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4<sup>th</sup> August, 2015;
- (vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (ix) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
- (x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
- (xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
- (xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11<sup>th</sup> January, 2016;
- $(xiii)\ No.3-16/\ Specified\ Foods/Notification(Food\ Additive)/FSSAI-2014, dated\ 3^{rd}\ May,\ \ 2016\ and$
- (xiv) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016.